

भारतीय जीवन बीमा निगम
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
जी.बी.नि./पीएमजेडीवाई/सीएलएम/सीएस
प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 30,000/- रुपए का जीवन सुरक्षा

दावा फार्म

भाग क (नामिती/नामांकन न किए जाने की स्थिति में कानूनी वारिसों द्वारा भरा जाए)		
मृतक सदस्य के विवरण : मृतक सदस्य का नाम और पता पीएमजेडीवाई खाता संख्या		
1.	बैंक का नाम और पता, जहां पीएमजेडीवाई खाता खोला गया था	
2.	आधार कार्ड नंबर/बायो मेट्रिक कार्ड नंबर	
3.	मृतक के पिता/पति का नाम	
4.	मृत्यु की तारीख	
5.	क) क्या मृतक सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्योरे दें
	ख) क्या मृतक सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर आदाता है या क्या उसकी आय से टीडीएस काटा गया था?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्योरे दें
	ग) क्या मृतक सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत सुरक्षा किया गया था?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्योरे दें
6.	क) क्या मृतक के पास प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कोई अन्य बैंक खाता था? यदि हां तो पीएमजेडीवाई के अंतर्गत अन्य सभी खातों के बैंक खाता नंबर दें।	हां/नहीं यदि हां, तो बैंक खाता नंबर 1..... बैंक खाता नंबर 2

	ख) क्या मृतक व्यक्ति के पास प्रधान मंत्री जन धन योजना के अलावा कोई अन्य बैंक खाता था? यदि हां तो अन्य सभी बैंक खातों के बैंक खाता नंबर दें।	<p>हां/नहीं</p> <p>यदि हां, तो बैंक खाता नंबर</p> <p>1.....</p> <p>बैंक खाता नंबर 2</p>
नामिती/कानूनी वारिस के न होने की स्थिति में कानूनी वारिस/वारिसों के विवरण :		
7.	नामांकन न होने की स्थिति में नामिती/कानूनी वारिसों का नाम और पूरा पता : टेलीफोन या मोबाइल नंबर ई-मेल पता, यदि उपलब्ध है:	
8.	सदस्य के साथ रिश्ता	
9.	नामिती/कानूनी वारिस का आधार कार्ड/बायोमेट्रिक कार्ड नं.	
<p>मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी प्रश्नों के उत्तर हर प्रकार से सही हैं।</p> <p>नामिती/कानूनी वारिस/दावेदार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान</p>		<p>मुहर सहित बैंक पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य</p> <p>हस्ताक्षर</p> <p>नाम</p> <p>पता</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>स्थान : तारीख:</p>

नामिती/कानूनी वारिस का आधार संबद्ध खाता संख्या और बैंक के ब्योरे

यदि खाता आधार से नहीं जोड़ा गया है तो अन्य बैंक खातों के ब्योरे, जहां दावे से प्राप्त होने वाली धनराशि एनईएफटी के जरिए क्रेडिट की जाएगी:

क) बैंक का नाम और पता :

ख) नामिती/कानूनी वारिस का खाता संख्या :

ग) आईएफएससी कोड :

(सत्यापन के लिए पास बुक के पहले पृष्ठ /निरस्तीकृत चेक की फोटो प्रति संलग्न है)

बैंक की शाखा में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. मृतक सदस्य का साक्ष्यांकित* मृत्यु प्रमाणपत्र
2. मृतक के आधार कार्ड/बायो मेट्रिक कार्ड की साक्ष्यांकित* फोटो प्रति
3. नामिती/दावेदार के आधार कार्ड/बायो मेट्रिक कार्ड की साक्ष्यांकित* फोटो प्रति
4. मृतक के आयु के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक की साक्ष्यांकित* फोटो प्रति:
 - (क) आधार कार्ड
 - (ख) जन्म रजिस्टर से सार
 - (ग) स्कूल प्रमाणपत्र से सार
 - (घ) राशन कार्ड
 - (ङ) मतदाता सूची
5. मृतक सदस्य की बैंक पास बुक की विधिवत साक्ष्यांकित* फोटो प्रति
6. एएबीवाई सदस्यता प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध है) की साक्ष्यांकित फोटो प्रति

नामिती/दावेदार द्वारा साक्ष्यांकन भी स्वीकार्य है

फार्म भरने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणापत्र (यदि भरे गए फार्म पर दावा फार्म के अलावा किसी भिन्न भाषा में हस्ताक्षर किए गए हैं)

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने नामिती/दावेदार को उपर्युक्त प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट कर दिए हैं और मैंने नामिती/दावेदार द्वारा दिए गए उत्तर सही-सही दर्ज किए हैं।

घोषणाकर्ता का नाम और पता

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि फार्म और दस्तावेजों की विषय वस्तु श्री/श्रीमती..... द्वारा (नाम, पदनाम, व्यवसाय) मुझे पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है और मैंने दावा फार्म की विषय वस्तु का महत्व समझ लिया है।

नामित/दावेदार के हस्ताक्षर

नामिती/दावेदार के अनपढ होने की स्थिति में उसके अंगूठे का निशान ऐसे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए, जिसकी पहचान आसानी से स्थापित की जा सके, परंतु वह निगम से असंबद्ध हो और यह घोषणापत्र उसके द्वारा दिया जाना चाहिए।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने उपर्युक्त प्रश्न और इस दावा फार्म की विषय वस्तु..... भाषा में नामिती/दावेदार को पूरी तरह स्पष्ट कर दी है और कि नामिती/ दावेदार ने इसकी विषय वस्तु को पूरी तरह समझ लेने के पश्चात ऊपर अंगूठे का निशान लगा दिया है।

घोषणाकर्ता का नाम और पता

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग - क

बिना नामिती/कानूनी वारिस/दावेदार से डिस्चार्ज रसीद -बिना किसी पूर्वा ग्रह के

में/हम एतद्वारा सदस्य निवासी
..... के जीवन पर उपर्युक्त पीएमजेडीवाई
योजना के अंतर्गत अपने सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान तथा डिस्चार्ज में 30,000/-
रुपए (केवल तीस हजार रुपए) की रकम भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्ति की अभिस्वीकृति
देता हूँ/देते हैं।

रसीदी
टिकट

तारीख :

नामिती/कानूनी वारिस/दावेदार के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

बैंक* की मुहर

*जहां प्रधान मंत्री जन धन खाता खोला गया था

गवाह :

बैंक* के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम :

पदनाम :

जीवन बीमा निगम/ पीएमजेडीवाई/ सीएलएम/ सीएस

बैंक द्वारा भरा जाए		
1.	पीएमजेडीवाई बैंक खाता संख्या	
2.	बैंक खाता खोलने की तारीख	
3.	सदस्य का रूपे कार्ड नंबर रूपे कार्ड जारी किए जाने की तारीख	
4.	मृतक सदस्य की जन्म तिथि	
5.	बैंक की शाखा के रिकार्ड के अनुसार नामिती का नाम	
6.	बैंक रिकार्ड के अनुसार नामांकन के रजिस्टर में नामांकन की क्रम संख्या	
7.	नामांकन न होने की स्थिति में दावेदार/कानूनी वारिस का नाम, जो फार्म संख्या सी1 और सी2 भरेगा	
8.	क्या बैंक की शाखा से खाताधारक के जीवन पर यह एक एकल दावा है?	हां/नहीं
9.	क्या मृतक सदस्य ने खाते के प्रति बैंक की किसी अन्य बीमा योजना की बाबत किसी जीवन सुरक्षा का लाभ प्राप्त किया है?	हां/नहीं
	यदि हां, तो ब्योरे दें, जैसे क्या उसी बैंक खाते से संबद्ध किसी अन्य बीमा लाभ लेने के लिए सदस्य ने स्वयं पूर्णतः या अंशतः बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है?	
नामांकन न होने की स्थिति में या यदि बीमित सदस्य से पहले नामिती की मृत्यु हो जाती है या नामिती पति/पत्नी, पुत्र या माता/पिता नहीं है, तो खाताधारक के कानूनी वारिस को, जीवन		

बीमा निगम के विनिर्धारित फार्मेट पर हकदारी के कानूनी साक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए क्षतिपूर्ति बंध-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए

बैंक* के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर वाले हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

अधिकारी का पदनाम

बैंक शाखा का टेलीफोन नंबर

बैंक शाखा का ई-मेल पता.....

*जहां प्रधान मंत्री जन धन खाता खोला गया था।

तारीख :

स्थान